परिषदादेश संख्या :– 4303 /एक–1 रा0प0/2013

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(नाम से),
उत्तराखण्ड।

दिनांक :– 15 नवम्बर, 2016

विषयः– **राजस्व परिषद् से पत्राचार के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक परिषदादेश संख्याः–6233/रा0प0–र0पं0/2013, दिनांक 12 अक्टूबर, 2013, संख्याः–8543/एक–01/2014, दिनांक 06 मार्च, 2014 एवं संख्याः–1990/एक–1 रा0प0/2013, दिनांक 19–07–2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि जनपद स्तर से राजस्व परिषद् को किए जाने वाले महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरणों के पत्राचार के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और अभी भी कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा परिषद् को प्रेषित किए जाने वाले महत्वपूर्ण एवं नीतिगत विषयों से सम्बन्धित पत्र/प्रस्ताव स्वयं के हस्ताक्षर से नहीं प्रेषित किए जारहे हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रेषित पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारियों की संस्तुति/सहमति से भेजे गये हैं अथवा नहीं। चूँकि महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरणों में किए गये पत्राचार/प्रस्ताव में जिलाधिकारियों का मन्तव्य/सहमति आवश्यक है।

अतएव पुनश्चः आपका ध्यान उल्लिखित परिषदादेशों की ओर आकृष्ट करते हुए अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारीगण उक्त परिषदादेशों का अपने स्तर से अक्षरशः अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित करेंगें कि परिषद् को प्रेषित किए जाने वाले अति महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरण के पत्र/प्रस्ताव उनकी स्पष्ट संस्तुति/सहमति एवं हस्ताक्षर से ही भेजे जॉय। यदि अपवादस्वरूप तात्कालिकता की स्थिति में, ऐसे पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारी से इतर अन्य अधिकारी द्वारा भेजा जाना अपरिहार्य हो तो, ऐसी स्थिति में पत्र/प्रस्ताव में जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति एवं उनके आदेशानुसार भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

अतएव परिषद् द्वारा समय–2 पर जारी निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एन0पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।
राजस्व परिषद्।

प्रतिलिपि, आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल को परिषदादेशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मण्डल स्तर पर भी उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(एस0एन0पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।
राजस्व परिषद्।

संख्याः–4328 / 09–1 / रा0प0 / 2016

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. आयुक्त,
   गढ़वाल मण्डल,पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल,
   नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

दिनांक : 16 नवम्बर, 2016

महोदय,

कृपया, राजस्व परिषद् स्तर पर यह देखने में आ रहा है कि जनपद स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी सक्षम अधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये बिना एवं राजस्व परिषद् में उपस्थित होने का उद्देश्य बताये बिना ही राजस्व परिषद् में आते हैं जो कि अनुशासनहीनता एवं शिष्टाचार के विरूद्ध है। भविष्य में जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व परिषद में आये, वह सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर तथा परिषद् में आने का उद्देश्य बताकर ही राजस्व परिषद् में उपस्थित हो। यदि इसका अनुपालन किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन एवं शिष्टाचार का उल्लंघन मानते हुये उसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया जायेगा।

2. पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी संज्ञान में आया है कि जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने प्रत्यावेदन बिना उचित माध्यम के ही सीधे राजस्व परिषद् को प्रेषित किये जा रहे हैं जो कि उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली–2002 के नियम–24(क) का उल्लंघन है। जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रत्यावेदन उचित माध्यम से ही परिषद् स्तर पर प्रेषित किये जायें। यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी का प्रत्यावेदन बिना उचित माध्यम के परिषद् स्तर पर प्राप्त होता है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली–2002 के नियम–24(क) का उल्लंघन के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति प्रेषित की जायेगी।

अतः सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें कि वे बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये एवं राजस्व परिषद् में जाने का उद्देश्य स्पष्ट किये बिना राजस्व परिषद् कार्यालय में सीधे उपस्थित न हों तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने प्रत्यावेदन द्वारा उचित माध्यम ही राजस्व परिषद् को प्रेषित करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव
16.11.2016

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

संख्या– 4464/पी0एस0/रा0प0/2016 देहरादून : दिनांक 21 नवम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

परिषदादेश संख्या–4328/एक–1/रा0प0/2016, दिनांक 16.11.2016 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि जनपद/मण्डल से परिषद् में आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर तथा परिषद् में आने का उद्देश्य बताकर ही राजस्व परिषद् में उपस्थित हों।

अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जनपद/मण्डल से जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी परिषद् कार्यालय में आते हैं, वे सक्षम अधिकारी से अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति एवं परिषद् में आने का उद्देश्य स्पष्ट करने विषयक पत्र प्रस्तुत करेंगे, तभी उन्हें मुलाकात हेतु आमंत्रित किया जाये।

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद्।
2– स्टाफ ऑफिसर, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्।
3– उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन), राजस्व परिषद्।
4– उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था), राजस्व परिषद्।
5– प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था), राजस्व परिषद्।
6– सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन), राजस्व परिषद्।

आयुक्त एवं सचिव
21.11.2016
राजस्व परिषद्।